पत्रांक–सी०एस०–01 / कार्यक्रम–02 / 2021(खण्ड)........1200........ /

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

प्रेषक,

एल० खियांग्ते,
मुख्य सचिव, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव
सरकार के सभी प्रधान सचिव
सरकार के सभी सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
झारखण्ड।

राँची, दिनांक....20.08.24....

विषय :– **दिनांक 30 अगस्त – 15 सितम्बर, 2024 तक "आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विगत वर्ष राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में **"आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार"** कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांचोपरान्त उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने की उस पहल को अपार सफलता मिली थी। इस कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ इस राज्य में हुई बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार–पत्रों, सोशल मीडिया आदि पर भी इसकी प्रशंसा की गई एवं इस कार्यक्रम को अत्यधिक जनोपयोगी बताया गया।

2. इस कार्यक्रम की सफलता तथा उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार के "आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम को इस वर्ष दिनांक–30 अगस्त – 15 सितम्बर, 2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

3. इस कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के विभिन्न लोक–कल्याकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। प्रयास यह किया जाय कि व्यक्तिगत योजनाओं को Saturation Mode में लागू किया जा सके, अर्थात् कोई भी अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

4. इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रयास यह हो कि आपके जिले की सभी पंचायतों में कम–से–कम एक शिविर का आयोजन हो सके। शिविरों का Schedule तथा कार्य योजना संबंधित उपायुक्त द्वारा तैयार किया जायेगा। इन शिविरों के स्थल, तिथि तथा समय की जानकारी जन–प्रतिनिधिगण एवं प्रभारी मंत्री को भी दी जाय ताकि वे भी इन शिविरों में सुविधानुसार भाग ले सकें। पंचायत के प्रत्येक गाँव/टोला में शिविर तिथि तथा स्थान का व्यापक प्रचार–प्रसार कम से कम एक सप्ताह पूर्व कराया जाय ताकि शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग ले सके।

5. इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों का सम्पादन किया जाय :–

(क) शिविर में आवेदनों की प्राप्ति :–

(i) आम जनों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाय।

(ii) शिविरों में आम जनों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त किया जाय एवं आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाय।

(iii) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष निम्नलिखित मुख्य प्रक्षेत्र (Focus Area) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे।

- झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान् योजना
- अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- अबुआ आवास योजना
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना
- बिरसा हरित ग्राम योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड
- सर्वजन पेंशन योजना
- सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
- हरा राशन कार्ड
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
- गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
- जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र

(iv) जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, उनमें लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाभ प्रदान किया जाय।

(ख) उपरोक्त Focus Area के अतिरिक्त Beneficiary oriented वैसी योजनाएँ, जिन्हें राज्य सरकार saturation mode में लागू करने के लिए कृतसंकल्पित है, के लिए भी छूटे हुए व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे ताकि उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके। ऐसी कुछ योजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :–

(i) सभी प्रकार की पेंशन योजनाएँ

(ii) आयुष्मान कार्ड का वितरण

(iii) सामुदायिक वन पट्टा (CFR) और व्यक्तिगत वन पट्टा (IFR) के लिए सम्बन्धित FRC द्वारा आवेदन प्राप्त करना

(ग) ऑन–द–स्पॉट परिसम्पतियों / सरकारी लाभों का वितरण :–

प्रत्येक शिविर में "कल्याण मंच" स्थापित किया जायेगा, जिसके माध्यम से शिविर में ही लाभुकों के बीच निम्नांकित योजनाओं से संबंधित लाभों / परिसम्पतियों का वितरण किया जायेगा :–

- पूर्व में स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान में निर्मित परन्तु अवितरित जाति प्रमाण पत्रों को Laminate करवाकर इन शिविरों में बाँटा जा जायेगा।
- प्रत्येक शिविर में छात्र–छात्राओं के बीच साईकिल क्रय हेतु प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी लाभार्थियों को. उसी दिन साईकिल क्रय हेतु डी०बी0टी० के माध्यम से राशि प्राप्त हो जाय।
- SHG / क्लस्टर सदस्यों के बीच ID कार्ड का वितरण।
- धोती–साड़ी–लुंगी का वितरण।
- कंबल का वितरण

(घ) ऑन–द–स्पॉट शिकायत निवारण :–

प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन–द–स्पॉट निवारण करते हुए समाधान / निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ऑन–द–स्पॉट निवारण / समाधान में निम्न को प्राथमिकता दी जाय :–

- राजस्व अभिलेखों में संशोधन / परिमार्जन
- आय / जन्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र में यथावश्यक संधोधन

- आधार/राशन कार्ड में संशोधन
- बिजली बिल से संबधित शिकायत

इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाए। यदि किसी कारण उस दिन इस श्रेणी की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है तो आवेदन को लंबित माना जाएगा तथा शिविर आयोजन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अन्दर निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में टाइमस्टैम्प (प्राप्ति और समाधान दोनों के लिए) के साथ इन आवेदनों की ट्रैकिंग की जाएगी।

(ङ) विशेष शिविर का आयोजन

प्रत्येक जिले के किसी निर्धारित तिथि (जिसकी सूचना आपको अलग से दी जायेगी) को चिन्हित स्थान (जिला मुख्यालय से इतर) पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा जहाँ माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में लाभान्वितों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। परिसम्पतियों का बँटवारा किया जायेगा तथा योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया जायेगा। इस कार्यक्रम में अन्य के अतिरिक्त निम्न को भी शामिल किया जायेगा।

- झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण
- साइकिल के लिए नकद हस्तांतरण (डीबीटी) चेक (प्रतीकात्मक चेक वितरण। ऐसे सभी छात्र–छात्राओं को अनिवार्य रूप से उसी दिन शाम तक DBT के माध्यम से राशि प्राप्त होने का प्रावधान।)
- चिन्हित परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
- वन पट्टों का वितरण

6. इन सभी लोक–कल्याकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्ति तथा स्वीकृति हेतु शिविर में योजनावार अलग–अलग स्टॉल लगाया जायेगा।

7. विभागीय सचिव तथा उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि संभव हो तो, राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी इन पंचायत स्तरीय शिविरों में आमजनों को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. सभी उपायुक्त एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय टीम द्वारा जिलान्तर्गत इस कार्यक्रम की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जायेगी। जिन आवेदनों का निष्पादन शिविर में संभव नहीं हो, उनका निष्पादन अभियान अवधि में ही करते हुए आवेदक के द्वार पर जाकर लाभ प्रदान किया जाय।

9. इस पूरे अभियान की रूपरेखा तथा उपलब्धि का व्यापक प्रचार–प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वे एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्ताव तैयार करेंगे।

10. इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले का प्रभार प्रधान सचिव/सचिव स्तर के पदाधिकारियों को सौंपा जायेगा। इस संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव संबंधित जिले में चल रही "आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का न सिर्फ स्थल निरीक्षण करेंगे, बल्कि कार्यक्रम का Online पर्यवेक्षण भी करते रहेंगे।

11. शिविर के एक स्टॉल में राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियो से संबंधित Movies को भी दिखाया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में पुनः अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम को अपनी Leadership प्रदान करते हुए गत वर्ष की भाँति इसे भरपूर सफल बनायें।

विश्वासभाजन,

20/8/2024

(एल० खियांग्ते)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक– सी०एस०–01/कार्यक्रम–02/2021(खण्ड) 1200/ राँची, दिनांक 20.08.24

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/2024

मुख्य सचिव